हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

वीरवार, 27 फरवरी, 2020/8 फाल्गुन,1941(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 38वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 (3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखेंगी।

(3) **डॉ0 राजीव सैज़ल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम अधिनियम, 1979 की धारा 29(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन पत्र, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2019-2020:-

(i) सामान्य चर्चा ।

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) पर चर्चा, मतदान एवं उनका पारण।

4. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31मार्च, 2020 को समाप्त होने

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 1)	वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020
(2020 का विधेयक संख्यांक 1)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

5. **राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:**

श्री बलबीर सिंह, निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:

कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए:-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, राज्यपाल महोदय का, दिनांक 25 फरवरी, 2020 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, ह्दय से आभार प्रकट करते हैं।"

श्री राकेश जम्वाल, प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे ।

शिमला-171004 | यशपाल शर्मा,
दिनांक: 26 फरवरी, 2020 | सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(अष्टम सत्र)

वीरवार, 27 फरवरी, 2020/ 8 फाल्गुन, 1941 (शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या	शुद्धियां

<u>कुल तारांकित प्रश्न 34</u>

तारांकित व अतारांकित प्रश्न सूची में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री को मुख्य मन्त्री पढ़ा जाए ।

*2344	दिनांक 05 मार्च, 2020 को शिक्षा मन्त्री के नाम स्थानांतरित किया गया।

शिमला
दिनांकः 26.02.2020

यशपाल शर्मा,
सचिव